TRN 187
30.9.16

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) राजस्थान,जयपुर ।

क्रमांकः- पीए/आदेश/के-85/2016-17/1948 दिनांकः- 9.9.16

प्रधान महालेखाकार (लेखा व ह०),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004

महालेखाकार (ले. एवं ह) का कार्यालय
Office of the Accountant General (A&E), INWARD
14 SEP 2016
No. 1219
आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना,
Andhra Pradesh & Telangana,
Hyderabad-500 004.

19157997

विषयः- राजस्थान सिविल (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट - 6 (पब्लिक सैक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम) में संशोधन ।

Pen

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (बीमा एवं पेंशन) ने सं. एफ.10(5) एफ.डी./राजस्व/2010 दिनांक 30.06.2016 द्वारा पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार पेंशन भुगतान हेतु प्रक्रिया संबंधी आदेश जारी किये है । अतः पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन शुरू करने हेतु निर्देश एवं निर्धारित आवेदन पत्र की प्रतियां पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश एवं परिशिष्ट 3 व 5 आपके श्रेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों / पेंशन भुगतान अधिकारियों/बैक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्नः- (3)

भवदीय,
9.9.16
व.लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

OGP

44152
26/9/16

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(बीमा एवं पेंशन)

सं.एफ.10(5)एफडी/~~राजस्व~~/2010

जयपुर, दिनांक : 30.06.2016

आदेश

विषयः—राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट—VI (पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम) में संशोधन।

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के परिशिष्ट—VI (पब्लिक सेक्टर बैंकों द्वारा राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनरों की पेंशन के संदाय के लिए स्कीम) में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये जाते हैं:—

1. उपर्युक्त नियमों के परिशिष्ट—VI के विद्यमान पैरा 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः—

   "15. पेंशनर की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर बैंक की संदाय शाखा पेंशनर के मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ—साथ कुटुम्ब पेंशन के संदाय के लिए उपाबंध—V में एक आवेदन प्राप्त करेगी और पेंशन संदाय आदेश के संवितरक के भाग में निदेशक, पेंशन द्वारा उपदर्शित दरों पर कुटुम्ब पेंशन संदाय प्रारम्भ करेगी। संदाय शाखा पेंशन संदाय आदेश के संवितरक के भाग और उपाबंध—III पर के प्ररूप में के रजिस्टर में पेंशनर की मृत्यु की तारीख दर्ज करेगी। किसी विधिक विवाद के मामले में बैंक के अभिलेख में संधारित संवितरक के भाग को विधिमान्य दस्तावेज के रूप में माना जायेगा।"

2. उपर्युक्त स्कीम के परिशिष्ट—VI का विद्यमान पैरा 15.3 हटाया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(नवीन महाजन)
सचिव, वित्त (बजट)

2678

1 0 AUG 2016

Rajasthan, JAIPUR-302 005

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित हैः—

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. उप शासन सचिव, मुख्य शासन सचिव।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

F-10(5)2010

ANNEXURE III

Register of payment of pension

Name of the Pensioner	No. of the pension payment order (PPO)	Period for which the pension is paid	Amount of the pension (basic pension and relief to be shown separately).
1	2	3	4

Recovery of over-payment if any.	Income-Tax deduction	Net amount paid	Allocation of pension as indicated in the PPO	Remarks
5	6	7	8	9
1.				
2.				
3.				

Note :- Each entry should be attested by the nominated officer of the branch at which the payment is made.

ANNEXURE V

FORM OF APPLICATION FOR FAMILY PENSION

Application for a family pension for the family of late Shri/Smt.................................... (Designation) .... in the Office/Department of ....

1. Name of the applicant.

2. Relationship to the deceased Government servant/pensioner.

3. Date of retirement, if the deceased was a pensioner.

4. Date of death of Government servant/pensioner.

5. Names and ages of surviving kindred of the deceased.

	Name	Date of birth
Widow/Widower		
Sons		
Unmarried Daughters.		

6. Name of Treasury/Sub-Treasury/ PSB branch at which payment is desired.

7. Signature of left-hand thumb impression (in the case of those are not literate enough to sign their names).

8. Descriptive roli of........... widow/widower/guardian of the minor children of late........

   (i) Date of birth

   (ii) Height

   (iii) Personal marks, if any on, hand or face

   (iv) Left-hand thumb & finger impressions.
   Small finger, Ring finger, Middle finger, Index finger, Thumb

9. Full address of the applicant:

Attested by

(1)————————

(2)————————

Witness

(1)————————

(2)————————

Note:- The descriptive roll (column 8) and signature or left hand thumb and finger impressions accompanying application for family pension should be in duplicate in two separate sheets and attested by two gazetted officers or persons of respectability in the town, village or pargana in which the applicant resides.